डाटा सेंटर के लिए दो अलग-अलग स्रोतों से बिजली

आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट बैठक में मिली हरी झंडी

राज्य ब्यूरो, जागरण ● लखनऊ : प्रदेश सरकार डाटा सेंटर की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए उन्हें और सहूलियत देने जा रही है। अब डाटा सेंटरों को दो अलग-अलग स्रोतों से बिजली का कनेक्शन मिल सकेगा। इससे एक से बिजली जाने पर भी दूसरे स्रोत से बिजली आपूर्ति होती रहेगी। दोनों बिजली कनेक्शनों में से जिसमें कम बिल आएगा, उसकी प्रतिपूर्ति आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में आइटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है।

लोकभवन में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 14 प्रस्ताव रखे गए थे, इनमें से 13 प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। कैबिनेट बैठक के बाद निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि डाटा सेंटर क्षेत्र की महत्ता को देखते हुए प्रदेश सरकार जनवरी 2021 में उप्र डाटा सेंटर नीति लागू की थी, इसके बाद सात नवंबर 2022 को इसका प्रथम संशोधन लाया गया। सरकार ने प्रदेश में 900 मेगावाट क्षमता का डाटा सेंटर उद्योग विकसित करने व 30 हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है। इसके तहत कम से कम आठ अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क बनाए जाने हैं।

नीति के तहत डाटा सेंटर पार्क और डाटा सेंटर इकाइयों को सब्सिडी, ब्याज में छूट, भूमि की खरीद व पट्टे पर स्टांप ड्यूटी में छूट तथा ऊर्जा से संबंधित वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाने हैं। बुंदेलखंड व पूर्वांचल के क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था है। मूल नीति के अंतर्गत राज्य में स्थापित पहले तीन डाटा सेंटर पार्क को दोहरे विद्युत नेटवर्क प्रदान करने की व्यवस्था थी, जबकि संशोधित नीति-2021 में पहले आठ डाटा सेंटर पार्क के लिए यह व्यवस्था की गई। अब सरकार ने डाटा सेंटर स्थापित करने वाले सभी निवेशकों को दोहरे स्रोत से बिजली कनेक्शन देने का निर्णय लिया है। सरकार का मानना है इससे निवेशक प्रदेश में डाटा सेंटर की स्थापना के लिए आकर्षित होंगे। इससे प्रदेश में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

कैबिनेट के फैसले

● दोनों कनेक्शन में से जिसमें कम आएगा बिल उसकी होगी प्रतिपूर्ति

लोक भवन में मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह। साथ में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ● जागरण

गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 5664 करोड़ रुपये की स्वीकृति

गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज महाकुंभ से पहले पहले पूरा करने और इससे जुड़े तमाम वित्तीय अवरोधों को दूर करने की दिशा में सरकार ने बड़ी पहल की है। मेरठ से प्रयागराज तक बन रहे 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 5664 करोड़ की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। यह स्वीकृति एक्सप्रेसवे के वीजीएफ (वायबिलिटी गैप फंडिंग) की प्रतिपूर्ति के लिए दी गई है। इस मद में अनुपूरक बजट में प्रविधान किया गया था। परियोजना के क्रियान्वयन का निर्णय 26 नवंबर 2020 को लिया गया था।

ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के संचालन व रखरखाव पर खर्च होंगे 4485 करोड़

योगी कैबिनेट ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के संचालन व रखरखाव की नीति को स्वीकृति प्रदान कर दी है। ग्रामीण पाइप पेयजल योजना के संचालन व रखरखाव पर हर वर्ष 4485 करोड़ खर्च होंगे। इसमें बिजली पर ही 1553 करोड़ के खर्च का अनुमान है। जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि कैबिनेट ने उप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल आपूर्ति योजनाओं के लिए संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2015 के स्थान पर 'उप्र के ग्रामीण क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजनाओं की संचालन एवं अनुरक्षण नीति-2024' को स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्र ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को जल जीवन मिशन के अंतर्गत समाहित करते हुए 'जल जीवन मिशन' प्रारंभ किया था।